

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (पोलिसी) आकाशि/अनु/09/ 183

दिनांक:- 3/3/2011

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में शर्त अभावित निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बन्धित महाविद्यालय का नाम	विषय संकाय (नवीन विषय केवल स्नातक स्तर पर)	विषय संकाय (नवीन विषय केवल स्नातक स्तर पर)
1	लाल बहापुर शास्त्री महाविद्यालय, सैक्टर न-1 महादीर नगर विस्तार योजना, कोटा	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-बीकॉम ऑनर्स	
2	अद्वैत महिला महाविद्यालय, लालसोत-दौसा	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
3	रोहित कन्या महाविद्यालय, धालडका-नोहर-हनुमानगढ़	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
4	बाबा गंगानाथ सह शिक्षा महाविद्यालय, परन्तरामपुरा-झुझुनु	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
5	सोनी देवी कानाराम कॉलेज, बासखो का फाटक, बस्नी, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-कला- गृहविज्ञान, चित्रकला	
6	महाराजा गंगासिंह महाविद्यालय, केसरीसिंहपुर, पोस्ट नं:-10, फिफ्थी कॉलोनी, फरीदसर-श्रीगंगानगर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-बीसीए	
7	डी.पी.एम कॉलेज, हलौना रोड, सरसैना, भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
8	बागड महाविद्यालय, दवेला-द्वोटडा, गढी-बोसवाडा	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
9	लेट फुलचन्द छीतरमल जैन महाविद्यालय, पीसांगन-अजमेर	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
10	डाडा पम्माराम स्नातको कन्या महाविद्यालय, श्रीविजयनगर-श्रीगंगानगर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
11	शारदा कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रीको एरिया अनूपगढ- श्रीगंगानगर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-विज्ञान, बीकॉम (एबीएसटी, ईएएफएम, बिजनेस एड0,)	
12	एस.जे. कॉलेज, जनउपयोगी गवना के पीछे, जनता कॉलोनी, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	बीकॉम, (एबीएसटी, ईएएफएम, बिजनेस एड0,)	
13	श्री गांधी कन्या महाविद्यालय, गुलाबपुरा- भीलवाडा	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
14	लोकमान्य तिलक महाविद्यालय, बस स्टैण्ड के पास, रामगढ - अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
15	शिवालिक कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, जगदीश विहार, जगतपुरा, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-बीकॉम (एबीएसटी, ईएएफएम, बिजनेस एड0,)	
16	एस.आर.एस वॉयज कॉलेज, कुम्हेर- भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
17	जसवीर मेमोरियल महाविद्यालय, साण्डवा, नोखा बीदासर मार्ग, सुजानगढ, चुरू	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
18	नेहरू महाविद्यालय, स्टैडियम के सामने, कृषि मण्डी टोंक, टोंक	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-कला - हिन्दी आंग्रजी, संस्कृत, उर्दू, साहित्य, भूगोल, चित्रकला, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राज. विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र	
19	कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गिराज कॉलोनी, छोटी रेल्वे लाईन के पास, धौलपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	
20	दाखा देवी महाविद्यालय, लालपोट न्यू कॉलोनी लालसोत दौसा	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय	

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 4 (211) निकाशि/अनु/08/348

दिनांक:- 1.8.13


आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को रथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

पत्रा सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवृत्त विषय/ संकाय
211	एस.जे. कालेज, जन उपयोगी भवन के पीछे, जनता कॉलोनी, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय/ संकाय

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करवा तथा निम्न महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
2. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
3. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
4. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित राक्षग स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
5. निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा।
6. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
7. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
8. संस्था द्वारा रथायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. संस्था निदेशालय से सांख्यिकी-पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयान्तर्घ में जमा करायेंगी।
10. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
11. संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेंजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर सहित 31 जुलाई, 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे।
12. राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर रथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।


निदेशक,
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।